

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- मि. ल. शेखा १-६ पायला कला

प्रकरण सं.:- २१६/२०१८

दिनांक:- १३.०६.१८

क्रमांक:- लो.अदा./२०१८/५१६

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पायला कला व मू.अ.नि. पायला कला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में ग्राम कागो डी हाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् २०७३-७४ में खाता संख्या ८८ में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१.	<u>कागो डी हाणी</u>	<u>८८</u>	<u>५११/१</u>	<u>श्रीखा पुत्र राना</u>	<u>श्रीखाराम पुत्र रानाराम</u> <u>शेख वयूहर</u>

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- १३.०६.१८

क्रमांक:- लो.अदा./२०१८/५१७-१९  
प्रतिलिपि:-

१. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
२. प्रार्थी श्री श्रीखाराम पुत्र रानाराम निवासी कागो डी हाणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
३. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी